आपकी ओडीएसपी सुनवाई के लिए

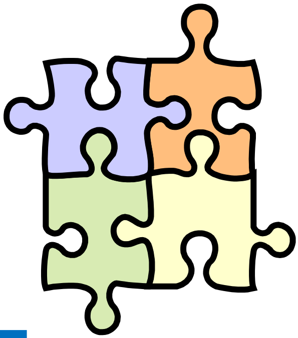

क्या अपेक्षा रखें
किस बारे में बात करें

अप्रैल 2016

Hamilton Community Legal Clinic
Clinique juridique communautaire de Hamilton

Legal Aid Ontario
Aide juridique Ontario

YÉN:TENE
you and I will go there together

lesbian gay transgender bisexual queer
POSITIVE SPACE

विषय-सूची

भाग 1 अपनी सुनवाई के लिए तैयार होना

मुझे क्या साबित करने की आवश्यकता है ?........................... 3

कुछ नोट्स बनाएं 3

इन मुद्दों के बारे में सोचें..4

प्रश्न और उदाहरण.. 6-9

भाग 2 अपनी सुनवाई के लिए जाना

अपनी सुनवाई के लिए जाना.. 11

अगर आपको देरी होती है या आप उपस्थित नहीं रह सकते.........11

सुनवाई पर मुझे क्या साथ लाना है................................. 12

वहां कौन होगा?.. 12

सुनवाई पर- सुनवाई का कमरा....................................... 13

दुभाषिये... 13

क्या होता है.. 12

परिचय...13

प्राथमिक मामले.. 13

स्थगन याचिकाएं 13

नये सबूत?.. 13

अपील का नोटिस देर से दर्ज़ किया?................................... 14

अपना केस प्रस्तुत करना... 15

अपने केस को संक्षेप में बताना.. 15

फ़ैसला.. 15

भाग 1 अपनी सुनवाई के लिए तैयार होना

मुझे क्या साबित करने की आवश्यकता है?

आपको यह साबित करना होता है कि निदेशक के फ़ैसले की तारीख (जो आपको ओडीएसपी की तरफ से मिले प्रथम पत्र पर थी, जिस में ओडीएसपी लाभों से इनकार किया गया था, उस तारीख) को आप “अक्षमता वाले व्यक्ति” थे। ओडीएसपी से आय समर्थन प्राप्त करने के लिए, आपको ओडीएसपी की “अक्षमता वाले व्यक्ति” की व्याख्या पर खरा उतरना आवश्यक है। इस का मतलब है कि, एक स्वीकृत स्वास्थ्य व्यावसायिक, जैसे कि एक डॉक्टर, पुष्टि करता है कि:

- आपको कोई शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिस का एक साल या अधिक चलना अपेक्षित है, और
- आपकी स्वास्थ्य समस्या आपकी काम करने की, अपनी देखभाल खुद करने की, अथवा घर में या समुदाय में दैनिक गतिविधियां करने की क्षमता को सीमित करती है।

कानून यह भी कहता है कि **आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए औरउन्हें**

सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) फ़ैसला करेगा कि क्या आपने अपना केस चिकित्सा के सबूतों और अपनी गवाही के आधार पर (मतलब कि अपनी कहानी खुद कहने से) साबित किया है।

महत्वपूर्ण: एसबीटी (SBT) के सबूत पेश करने के और आपकी सुनवाई के लिए साक्षी के बारे में अग्रिम अधिसूचना जैसे, संभवतः सख़्त नियम हैं। उन नियमों के बारे में सलाह के लिए कृपया अपने स्थानिक लीगल क्लिनिक से संपर्क करें।

कुछ नोट्स बनाएं आप जो चीज़ें कहना चाहते हों उनके बारे में नोट बनाएं। उनको संक्षिप्त और मुद्दों के रूप में रखें, यह आपको याद रखने में सहायता करेगा।

√ सुनवाई के समय अपने नोट्स पढ़ सकेंगे ये अपेक्षा मत रखें।

√ यह अंशतः प्रस्तुति है और अंशतः वार्तालाप।

√ इमानदार बनें और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से ब्योरा दें।

√ कुछ भी छुपाएं न मगर बढ़ा-चढ़ा कर न कहें। आपके ओडीएसपी के आवेदनपत्र और फॉर्म पर जो डॉक्टर ने कहा है उसका उपयोग करें।

याद रखें :

*आपको अपनी बीमारियों के बारे में, उस के आसपास के समय की बात करनी होगी जब ओडीएसपी (ODSP) ने इनकार किया था; यह **निदेशक के फ़ैसले की तारीख** है:*

____

(आपको याद रखने में सहायता के लिए उस तारीख को यहां लिखें)

*आपकी बीमारियों ने आपकी **समुदाय में, काम करने की जगह में** और **अपनी निजी देखभाल में** सहभागी होने में किस तरह असर किया है उस पर ध्यान केन्द्रित करें।*

जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तब इन मुद्दों के बारे में सोचें:

- लक्षण क्या थे?
- वे कब शुरु हुए थे?
- आपको वे कितनी बार होते थे?
- वे कितने बुरे थे?
- वे कितने समय तक होते रहे?
- क्या वे अभी भी आपको हैं?
- क्या इनके कारण आप हॉस्पिटल या एमर्जंसी में गये हैं?

जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तब इन मुद्दों के बारे में सोचें:

•क्या आपने कोई सहायक साधनों (उदाहरण के लिए, छड़ी, कमर का सहायक, नहाने के टब में लगाये डंडे, आदि) का उपयोग किया है। क्या आपके डॉक्टर ने उनका नुस्खा लिखकर दिया था?

•निदेशक के फ़ैसले की तारीख को आप कौन सी दवाईयां ले रहे थे? (आप डॉक्टर के लिखे नुस्खे के अनुसार अपनी दवाईयां नियमित रूप से लेते हैं यह दर्शाने के लिए आप अपने साथ अपनी फ़ार्मसी से दो साल की अपनी दवाईयों का छपा हुआ प्रिन्टआउट ला सकते हैं।)

•अगर आपने दवाई लेना बंद कर दिया हो तो मेम्बर को बताएं कि क्यों (उदाहरण के लिए, अगर उसके दुष्प्रभाव हुए हों, इत्यादि)
आपने किन डॉक्टरों से मुलाकात की? कोई विशेषज्ञ? कितनी बार आपने मुलाकात की? क्या आपको दुसरे विशेषज्ञ को रेफर किया जा रहा है?

•निदेशक के फ़ैसले की तारीख के आसपास के अपने सबसे खराब दिवस का वर्णन करें

•अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती को 1 से 10 के पैमाने पर नियत करें जिस में 1 ठीक होना और 10 सब से खराब होना हो

•क्या इनके कारण आप हॉस्पिटल या एमर्जंसी में गये हैं?

•क्या आपने कोईसहायक साधनों (उदाहरण के लिए, छड़ी, कमर का सहायक, नहाने के टब में लगाये डंडे, आदि) का उपयोग किया है। क्या आपके डॉक्टर ने उनका नुस्खा लिखकर दिया था?

•निदेशक के फ़ैसले की तारीख को आप कौन सी दवाईयां ले रहे थे? (आप डॉक्टर के लिखे नुस्खे के अनुसार अपनी दवाईयां नियमित रूप से लेते हैं यह दर्शाने के लिए आप अपने साथ अपनी फ़ार्मसी से दो साल की अपनी दवाईयों का छपा हुआ प्रिन्टआउट ला सकते हैं।)

प्रश्न और उदाहरण जो आपके केस में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। **जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें सही का निशान कर आप निशानी करने के खानों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल करें।**

उन बीमारियों पर ध्यान केन्द्रित करना याद रखें जो कि आपके डॉक्टर द्वारा प्रमाणित की गई हो, क्योंकि सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल सिर्फ़ उन बीमारियों के असर को ही विचार में लेगा।

दर्द - अगर आपकी समस्याओं में से एक दर्द के साथ है, तो मेम्बर को कुछ ब्योरा दीजिए जैसे कि:

- आपको दर्द ठीक कहां पर है? अपने सर से शुरु करें और नीचे पांव की उंगलियों तक जायें।
- वह कितना बुरा है? दर्द का वर्णन करें (यानि 1-10 के पैमाने पर, नुकीला, तीव्र वेदना, जलाने वाला.....)
- क्या वह निरंतर है? कितनी बार वह दर्द होता है?
- क्या वह कभी कभी अधिक बुरा होता है? कब?
- क्या उस दर्द की वजह से आप रात में जाग जाते हैं?
- क्या उस दर्द की वजह से कभी भी आप बिस्तर/घर तक सीमित हो गए हैं ?
- क्या आपका दर्द समय बीतते बेहतर हुआ है या अधिक बुरा हुआ है?
- आपके दर्द की वजह से आपकी क्या सीमाएं हैं?
- क्या मौसम आपके दर्द को प्रभावित करता है?

नींद - अगर आपकी बीमारियां आपकी नींद की समस्याएं होने का कारण बनतीं हैं, तो वर्णन कीजिए:

- आप कितने अच्छे से सोते हैं?
- आप जाग जाने से पहले कितना समय सोते हैं?
- आप रात में कितनी बार जाग जाते हो?
- आप क्यों जाग जाते हो?
- आप सुबह कैसा महसूस करते हो? विश्राम किया
- हुए या अभी भी थके हुए?

प्रश्न और उदाहरण सतत

गतिशीलता **अगर आपको गतिशीलता संबंधी कोई समस्याएं हों, तो वर्णन कीजिए:**

- चलना (कितनी दूर? फिर क्या होता है?)
- खड़े रहना (कितने समय तक? फिर क्या होता है?)
- बैठे रहना (कितने समय तक? फिर क्या होता है?)
- बैठने की स्थिति से बाहर निकलना, या बैठना (क्या होता है?)
- झुकना (कितने दूर तक? फिर क्या होता है?)
- सीढ़ियां चढ़ना या नीचे उतरना (कितनी सीढियां? फिर क्या होता है?)
- हाथों को सर के उपर या अपने सामने फैलाना
- घूटने टेक कर बैठना

खुद की देखभाल **अगर आपको खुद की देखभाल संबंधी कोई समस्याएं हों, तो वर्णन कीजिए:**

- खाना खाना
- सफाई और शौचालय संबंधी (बालों को कंघी करना, दांतो को ब्रश करना, हाथ धोना, इत्यादि)
- कपडे पहनना
- नहाना और फुहारे में स्नान करना
- खाना पकाना

घर के काम

अगर आपको घरेलु काम करने में कोई समस्याएं हों, तो वर्णन कीजिए:

- घर की सफाई (बर्तन साफ करना, वैक्यूम करना, फ़र्श को रगड़ कर साफ करना, बाथरूम साफ करना, पोछा करना, बिस्तर लगाना, इत्यादि)
- कपड़ों की धुलाई करना
- खाना पकाना

बच्चे - अगर आपके बच्चे हैं, तो वर्णन कीजिए:

- ☐ क्या आपको उनकी देखभाल में मदद की आवश्यकता रहती है?
- ☐ उन्हें स्कूल ले जाना और वापस लाना
- ☐ क्या उन्हें होमवर्क इत्यादि कराने में आप मदद कर सकते हैं

अन्य - अगर आपको निम्नलिखित से संबंधित कोई समस्याएं हैं , तो वर्णन कीजिए:

- ☐ अपने हाथों की उंगलियों का उपयोग (लिखना; छोटी चीज़ें उठाना, इत्यादि)
- ☐ चीज़ें वहन करना
- ☐ कार चलाना या सार्वजनिक यातायात से यात्रा करना
- ☐ धकेलना/खींचना (जैसे, ग्रोसरी कार्ट)
- ☐ खरीददारी के लिए जाना
- ☐ खुद के पैसों का प्रबंधन करना
- ☐ दृष
- ☐ सुनना
- ☐ बोलना
- ☐ स्मृति
- ☐ ध्यान केन्द्रित करना और ध्यान देना
- ☐ अवधारणा/समझ
- ☐ समस्याओं का समाधान करना
- ☐ तनाव का सामना करना
- ☐ समतुलन, चक्कर आना
- ☐ सांस लेना
- ☐ उलझन

बौद्धिक / भावात्मक स्वास्थ्य -अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, तो वर्णन कीजिए:

- ☐ उदासी की भावनाएं (क्या आप बार बार रोते हैं?)
- ☐ तनाव / डर की भावनाएं
- ☐ हताशा की मनोदशा
- ☐ आपके सामाजिक जीवन, काम करने की क्षमता पर भावनाओं का असर
- ☐ गतिविधियों में से रूचि की हानि

प्रश्न और उदाहरण

बौद्धिक / भावात्मक स्वास्थ्य

सतत - अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, तो वर्णन कीजिए:

- क्या वह आपके परिवार के साथ रिश्तों को असर करता है? क्या आपके दोस्त हैं?
- क्या आपको अपने आप कहीं आने-जाने में असुविधा महसूस होती है?
- क्या आप अपना अधिकांश समय अकेले और घर पर बीताते हो?
- क्या आपको लोगों से मिलने में चिंता रहती है? क्या
- आप सामाजिक रूप से मिलना टालते हो?
- आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो?
- आप अपने स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में कैसा महसूस करते हो?
- खुदकुशी करने के /खुद को हानि पहुंचानने के विचार
- विस्मृति/ ध्यान देने की अवधि का अभाव (उदाहरण दें)
- भूख पर, सोने की क्षमता पर भावनाओं का असर
- (अनिद्रा, लंबे अरसे तक जागते रहना)
- कोई भी दवाईयां जो आप ले रहें हैं (जैसे हताशारोधी या नींद की गोलियां) और क्या आपकी खुराक की मात्रा बढ़ी है
- अत्याधिक मात्रा में सोचना जैसे कि अधिक चिंता करना या समस्या(ओं) के बारे में बहुत सोचते रहना
- क्या आपको मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का अनुभव
- होता है (उदाहरण के लिए, आवाज़ें सुनाई देना, भ्रम
- होना, आभास होना इत्यादि)

इसके उपरांत, आप निम्न में से किन्ही अन्य समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हों:

- ☐ क्या कोई ऐसे शौक या गतिविधियां हैं जो आप करते थे जिसे आपको बंद करना पड़ा हो?
- ☐ क्या आपकी बीमारियों की वजह से आपके सामाजिक जीवन में या आपके समुदाय में रिश्तों में बदलाव आये हैं?
- ☐ क्या आप चर्च/ मंदिर/ यहूदी उपासना गृह/ मस्ज़िद
इतनी बार जाते हैं जितना आपके स्वास्थ्य के बिगडने से पहले जाते थे? अगर कम हुआ है, तो समझाएं क्यों।
- ☐ आपकी बीमारियों ने आपको भावनात्मक रूप से
- ☐ कैसे प्रभावित किया है?
- ☐ अपनी दवाईयों की वजह से क्या आपको कोई
- ☐ दुष्प्रभाव या अन्य समस्याएं हुई हैं?
- ☐ आप कौन सी चिकित्साओं से गुज़रे हो? क्या वे असरदार थीं?
- ☐ क्या आप फिज़ीओथेरपी के लिए गए थे? कितना समय? कितनी बार? क्या उस से मदद मिली?
- ☐ क्या कोई ऐसे इलाज हैं जो आपको सुझाए गए थे मगर आप उनका भुगतान करने में समर्थ नहीं थे?
- ☐ क्या आपके कोई व्यसन हैं? क्या आप ड्रग्स या शराब जैसे पदार्थों पर निर्भर करते हैं? (व्यसनों को भी उसी तरह विचार में लेना हैं जैसे अन्य बीमारियां)
- ☐ क्या आपको अपने बच्चों के साथ खेलने में या पार्क जैसी जगहों पर ले जाने में समस्याएं होतीं हैं?

भाग 2 अपनी सुनवाई के लिए जाना

सुनवाई की तारीख

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सुनवाई पर जाएं।
तारीख और समय आपको डाक में भेजे गए 'नोटिस ऑफ हीरिंग' पर है। अगर आप सुनवाई पर नहीं जाते हैं, तो सुनवाई आयोजन के अनुसार आगे बढ़ सकती है और आपको अपना केस पेश करने का (अपनी कहानी कहने का) मौका नहीं मिलेगा। अगर आप उपस्थित नहीं रहते और आपके पास उचित सफ़ाई नहीं है, तो आप अपनी अपील गंवा सकते हैं, और हो सकता है दो साल तक सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) में अपील दर्ज़ न कर पाएं। विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आप अपनी सुनवाई को विलंबित/ मुल्तवी/स्थगित करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुनवाई की तारीख पर, आपको समय से थोडा जल्दी पहुंचना चाहिए। आपको अपनी सुनवाई के लिए SBT मेम्बर बुलाएं तब तक इन्तज़ार करने के लिए तैयार रहें। अगर आपको देरी हो जाए, तो एसबीटी (SBT) आपकी अपील को रद्द कर सकता है। आपको अपनी सुनवाई के लिए सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) में व्यक्तिगत रूप से **अवश्य ही** उपस्थित रहना है।

महत्वपूर्ण

अगर आपको किसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अपनी सुनवाई पर पहुंचने में देरी होने वाली है या नहीं पहुंच सकते, तो आपको एसबीटी (SBT) को तत्काल **अवश्य ही** फोन करना चाहिए। सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) का निःशुल्क फोन नंबर है:

1-888-256-6758

समय

सुनवाई 1 से 1.5 घंटे तक निर्धारित होती है, कुछ केसों में अधिक लंबी भी। वह 30 से 45 मिनट जितनी कम भी हो सकती हैं। अगर आपके साथ अनुवाद करने के लिए दुभाषिया –(इन्टरप्रेटर) है तो संभवतः अधिक लंबा समय भी हो सकता है।

सुनवाई पर मुझे क्या साथ लाना है?

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनवाई पर आप अपने साथ अपनी

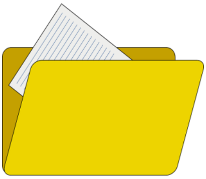

सारी कागज़ी कार्यवाही ले आएं। लीगल क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराए गए कागज़ कृपया एक साथ रखें।

कृपया साथ लाएं:

- नोटिस ऑफ हीरिंग
- सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) और ओडीएसपी (ODSP) पर डीसेबिलिटी एडज्युडिकेशन युनिट (जिसे कभी कभी डीऐयु DAU कहते हैं) को आपकी सुनवाई से पहले प्रस्तुत किये गए सारे चिकत्सकिय दस्तावेज़, रिपोर्ट्स और लॅब रिपोर्ट्स। आपके डॉक्टर द्वारा लिखे गये नुस्खों-(प्रिस्क्रिप्शन्स) के प्रिन्टआउट और अपनी वर्तमान दवाईयां उनकी बोतलों में लेकर आइए।
- डिरेक्टर ऑफ दी ओन्टेरिओ डीसेबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम को दी गई प्रस्तुतियां।
- सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल के मेम्बर को क्या कहना है ये याद रखने के लिए बनाये आपके नोट्स।

अगर आपकी अपील देरी से प्रस्तुत की गई, तो कृपया समर्थन के वे सबूत लेकर आएं जो समझाए कि क्यों आप समय पर अपनी अपील दर्ज़ नहीं कर सके थे *(अधिक जानकारी के लिए कृपया पेज 13 पर विभाग "प्राथमिक मामले" देखें)*।

वहां कौन कौन होगा?

- सामान्य रूप से आपके केस के फैसले के लिए एसबीटी-SBT- एक ट्राइब्यूनल मेम्बर को भेजता है।
- ओडीएसपी ODSP का डीसेबिलिटी एडज्यूडिकेशन युनिट भी किसी को दलील करने के लिए भेज सकता है कि आप ओडीएसपी ODSP लाभों के लिए योग्य नहीं माने जाने चाहिए।

वहां कौन कौन होगा? सतत

- मेम्बर सामान्य रूप से, आपकी सुनवाई पर, आपके परिवार के किसी सदस्य, मित्र या सहायक व्यक्ति को नैतिक समर्थन के लिए अंदर आने देंगे। अगर एसबीटी मेम्बर आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार को आपके साथ पूरी सुनवाई के दौरान ठहरने देते हैं, तो उस व्यक्ति को बोलने या एसबीटी SBT को सबूत देने की अनुमति नहीं है। **अगर आप चाहते हों कि कोई सबूत दे, गवाह बने,** तो आप के लिए एसबीटी SBT के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा (इस मार्गदर्शिका का पेज 3 देखें और लीगल क्लिनिक से संपर्क करें)। जब तक सबूत देने का समय नहीं होता, आपके गवाह को सुनवाई के कमरे से बाहर इंतज़ार करना होगा।

सुनवाई पर

सुनवाई का कमरा

सुनवाई सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल (SBT) पर, आपके नोटिस ऑफ हीरिंग पर लिखे कमरे में होती है। सुनवाई के कमरे में, एक टेबुल होता है और सब लोग उसके आसपास बैठते हैं। सुनवाई का कमरा किसी अदालत जैसा औपचारिक नहीं होता है। वह एक ऑफिस बोर्डरूम जैसा दिखता है। सुनवाई निजी होती है। अगर कोई दुभाषिया(इन्टरप्रेटर) उपस्थित होता है तो वह व्यक्ति सुनवाई पर जो भी कहा जाता है उसे गोपनिय और निजी रखने के लिए बाध्य होता है।

दुभाषिये

एसबीटी SBT के समक्ष सुनवाईयां अंग्रेज़ी या फ्रेंच में संचालित की जाती हैं। अगर आप अंग्रेज़ी या फ्रेंच नहीं बोलते और समझते, तो आपको सुनवाई पर दुभाषिया-(इन्टरप्रेटर) अवश्य ही रखना चाहिए। जब आप अपनी अपील दर्ज़ करते हैं तो आप जो भाषा बोलते और समझते हैं उस के लिए आपने दुभाषिये की याचिका की होनी चाहिए, फिर एसबीटी (SBT) आपके लिए दुभाषिये की सेवाओं का प्रबंध करेगा।

सुनवाई पर सतत

क्या होता है

आप डॉक्टर द्वारा महत्वपूर्ण सूचीबद्ध अपनी बीमारियों के बारे में बात करोगे और आप से सवाल किये जाएंगे। सवाल पूछेंगे कि वे आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।

ट्राइब्यूनल (SBT) आपको ओडीएसपी (ODSP) लाभों के

इनकार के फ़ैसले को बदलने के लिए सक्षम होता है। ट्राइब्यूनल को एक सवाल का जवाब देना होता है: क्या यह व्यक्ति, मंत्रालय ने जिस तारीख को "ना" कहा है उस दिन, ओडीएसपी (ODSP) लाभों के लिए लायक था।

सवाल सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल के मेम्बर द्वारा पूछे जाते हैं कि क्या आप ओडीएसपी (ODSP) लाभों के लिए कानूनी
परीक्षण पर खरे उतरते हों जब मंत्रालय ने कहा था आप नहीं
उतरते। आपको यह दर्शाने की आवश्यकता *नहीं* होती कि आप बिलकुल ही काम नहीं कर सकते।"बहुत अधिक मात्रा" कानूनी परीक्षण होता है, न कि "अतिशय"। ट्राइब्यूनल के मेम्बर आपके दैनिक जीवन की गतिविधियों में समस्याओं के बारे में सुनना चाहते हैं: ***व्यक्तिगत देखभाल, समुदाय में और काम की जगह में सहभागिता।***

परिचय

सुनवाई के प्रारंभ में, एसबीटी (SBT) सदस्य अपना परिचय देगा और सुनवाई पर उपस्थित सभी लोगों के नाम पूछेगा। । एसबीटी (SBT) सदस्य संक्षेप में समझाएगा कि सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी। । एसबीटी (SBT) सदस्य डाक के पते की पुष्टि करेंगे जहां वे आपकी अपील के फ़ैसले को भेजेंगे।

फिर, एसबीटी (SBT) सदस्य एसबीटी (SBT) की भूमिका के बारे में संक्षेप वर्णन कर सकते हैं और यह कि वह ओडीएसपी (ODSP) से अलग है। एसबीटी (SBT) मेम्बर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास आप के द्वारा और ओडीएसपी (ODSP) द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेज़ हैं।

प्राथमिक मामले

उस के बाद एसबीटी (SBT) मेम्बर आपके केस की सुनवाई शुरु करने से पहले किसी **“प्राथमिक मामलों”** की चर्चा करेंगे। प्राथमिक मामलों के कुछ उदाहरण हैं स्थगन याचिकाएं, नये सबूत, नोटिस ऑफ अपील का विलंब से दर्ज़ करना, अथवा चिकित्सकिय सबूत पर ओडीएसपी (ODSP) की आपत्तियां।

स्थगन याचिकाएं

अधिकतर स्थगन याचिकाएं सुनवाई की तारीख से पहले की जा सकती हैं। (अगर आपको स्थगन की याचिका के लिए अधिक सलाह चाहिए तो हमारे कार्यालय से संपर्क करें)। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा कारण है कि आप सुनवाई की तारीख को क्यों पहुंच नहीं सकते तो ही आप स्थगन के लिए कह सकते हैं। कुछ नियत संजोगो के अंतर्गत ही स्थगन दिया जाता है। सुनवाइयां फिर से निर्धारित नहीं की जाएंगीं क्योंकि कानूनी सहायता लेने में, या चिकित्सा की रिपोट्र्स प्राप्त करने में विलंब हुआ। अगर स्थगन से इनकार किया गया, तो सुनवाई आगे चलेगी।

नये सबूत?

अगर आपके पास **चिकित्सकिय दस्तावेज़** हैं जो कि आप सुनवाई के 30 दिन पहले दर्ज़ नहीं कर पाए थे, तो उन दस्तावेज़ों को दर्ज़ कराने से पहले आपको कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा करने की सलाह मिलती है, तो आपको अपने साथ दस्तावेज़ों की दो अतिरिक्त नकलें लानी चाहिए, ट्राइब्यूनल के लिए और अगर उपस्थित है तो डीऐयु/ओडीएसपी (DAU/ODSP) के लिए। उस के बाद मेम्बर तय करेंगे कि क्या वे चिकित्सा के अतिरिक्त सबूतों पर विचार करेंगे। । समझाइए कि आप चिकित्सा की रिपोट्र्स जल्दी प्राप्त क्यों नहीं कर पाये थे।

सुनवाई पर सतत

अपील का नोटिस देर से दर्ज़ किया?

अगर आप अपनी अपील दर्ज़ करने की 30 दिन की अंतिम तिथि चूक गए हैं तो एसबीटी (SBT) के लिए आपका केस सुनना ज़रूरी नहीं है, मगर वे अतिरिक्त समय दे सकते हैं अगर आप अच्छे कारण दें। हालांकि आपकी **लेट अपील** (आपके इन्टरनल रिव्यु के फ़ैसले के पत्र में दी गई 30 दिन की अंतिम तिथि के बाद) है फिर भी आप अपना केस सुनने के लिए याचना कर रहे हैं।

एसबीटी (SBT) मेम्बर को बताएं कि आप अपनी अपील समय पर **"मेरे नियंत्रण से बाहर के"** कारणों की वजह से दर्ज़ नहीं कर सके, जैसे कि:

- फ़ैसले का पत्र आपको नहीं मिला था। अथवा आपको
- फ़ैसले का पत्र मिला, पर वह मगर देर से आया।
- आपको फ़ैसला मिला, मगर आपको इन से मुश्किल प्रतीत होती है: भाषा की रुकावट, पढ़ना (साक्षरता), अपील की प्रक्रिया को समझने में आपको दिक्कत थी।
- आपको अपनी अक्षमता से संबंधित कारणों के लिए
- मुश्किल थी। आप *ह्युमन राइट्स कोड* के अंतर्गत
- अक्षमता अनुकूलन चाहेंगे।
- व्यक्तिगत आपात्काल या दयापूर्ण कारणों के लिए।

एसबीटी (SBT) मेम्बर को कहिए कि, अगर ऐसा होता तो, आप हमेशा से ओडीएसपी के नकारात्मक फ़ैसले की अपील करना चाहते थे। अतिरिक्त समय की अपनी याचिका के लिए सबूत लाएं (जैसे कि, हॉस्पिटल में दाखिल होने का प्रमाण, अगर आप बीमार थे जब फ़ैसला डाक में भेजा गया था)। या आपको याद रखने की समस्याएं हैं जिन से अपील समय पर दर्ज़ कराने की आपकी क्षमता प्रभावित हुई थी, आप चिकित्सकिय नोट प्रस्तुत कर सकते हैं।

एसबीटी (SBT) मेम्बर फ़ैसला करेंगे कि क्या आपको अतिरिक्त समय प्रदान करना है या नहीं। अगर प्रदान किया जाता है, तो आप सुनवाई के प्रमुख भाग तक आगे बढ़ेंगे।

अपना केस प्रस्तुत करना

प्राथमिक मामले पूरे होने के बाद एसबीटी (SBT) मेम्बर आप और आपके गवाहों से सुनना चाहेगा। आप सच बोलने का वादा करने के लिए कहा जाएगा।
आपकी सुनवाई के प्रमुख भाग में शामिल होंगे अपनी बीमारियों तथा अक्षमताओं (लक्षणों) और कैसे वे आपको हर रोज़ प्रभावित करते हैं के आपके बयान/सबूत देना। यह अपनी प्रत्येक बीमारियों के बारे में बात करने का आपका मौका है, वे कितनी गंभीर (या बहुत अधिक मात्रा में) हैं, और आपकी बीमारियों का अपनी दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव।
आपके अपना सबूत देना समाप्त करने के बाद, आपको और सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर डीसेबिलिटी एड्ज्युडिकेशन युनिट (DAU/ODSP) की तरफ से केस प्रस्तुतकर्ता अफसर (केस प्रेज़न्टिंग ऑफिसर) उपस्थित है, तो वे भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं।
अगर आप कोई सवाल नहीं समझते हैं , तो एसबीटी (SBT) मेम्बर को कहिए जो आपको समझने में मदद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप जवाब नहीं जानते, तो एसबीटी (SBT) मेम्बर को कहिए कि आप नहीं जानते। अगर आपको जवाब सोचने में समय लगता है तो चिंता मत कीजिए।

सुनवाई के अंत में अपने केस को संक्षेप में बताना

सुनवाई समाप्त होने से पहले, आपको अपना केस संक्षिप्त में बताने का और एसबीटी (SBT) मेम्बर को संक्षेप में यह बताने का मौका मिलेगा कि आप क्यों मानते हो कि आप एक अक्षमता वाला व्यक्ति हो। अगर आप हैमिल्टन कम्युनिटी लीगल क्लिनिक में 'गाइडेड सेल्फ हेल्प एसिस्टन्स प्रोग्राम' से जुड़े हैं तो आपको "अपेलन्ट्स सबमिशन्स" मिला होगा जिसे आप रेफर कर सकते हैं जब आप संक्षिप्त करते हैं या उस के बजाय सरलता से एसबीटी (SBT) मेम्बर को उसे बाद में पढ़ने के लिए कह सकते हैं । जब आप अपने संक्षेप को ख़त्म करेंगे (या आप संक्षिप्तिकरण न करना पसंद करें), डीऐयु (ओडीएसपी) DAU (ODSP) के प्रतिनिधि (अगर कोई है तो) को भी संक्षिप्तिकरण करने और यह बताने का मौका मिलेगा कि क्यों डीऐयु (ओडीएसपी) DAU (ODSP) मानता है कि आप अक्षमता वाले व्यक्ति नहीं हो।

फ़ैसला

सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल अपना फ़ैसला सुनवाई के समय नहीं देता है। सुनवाई के बाद ट्राइब्यूनल मेम्बर सबूतों की समीक्षा करता है और एक लिखित फ़ैसला जारी करते हैं। इस फ़ैसले की एक नकल, सामान्यतः 60 दिन के भीतर, आपको डाक से भेजी जाएगी।

जब आपको अपना फ़ैसला मिले कृपया हमारे कार्यालय से संपर्क करें

नोट्स:

यह पुस्तिका हैमिल्टन कम्युनिटि लीगल क्लिनिक की गाइडेड सेल्फ़ हेल्प ओडीएसपी प्रक्रिया के हिस्से की तरह और “गेटिंग रेडी फोर दी सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल” वीडिओ के संयोजन में इस्तेमाल करना अभिप्रेत है।

“गेटिंग रेडी फोर दी सोशल बेनफिटस ट्राइब्यूनल” वीडिओ यहां उपलब्ध है

www.hamiltonjustice.ca

(Go to “Our Legal Services”, then “Ontario Disability Support Program”)

या संपर्क करें:
हैमिल्टन कम्युनिटि लीगल क्लिनिक

यह पुस्तिका अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। अन्य भाषाओं की सूची के लिए कृपया हैमिल्टन कम्युनिटि लीगल क्लिनिक से संपर्क करें।

Cet outil est également disponible en français

द्वारा प्रकाशित किया गया:

Hamilton Community Legal Clinic
Clinique juridique communautaire de Hamilton

100 **मेइन स्ट्रीट, स्वीट** 203

हैमिल्टन, ओंटारियो L8N 3W4

फोन: 905-527-4572 फैक्स: 905-523-7282

www.hamiltonjustice.ca